रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293] नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 24, 1969/भाद्र 2, 1891

No. 293] NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 24, 1969/BHADRA 2, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 24th August 1969

S.O. 3394.—Shri Varahagiri Venkata Giri having been elected as President of the Republic of India takes his seat as President of India under a salute of 31 guns.

ORDER.—Ordered that the following Proclamation be published in the Gazette of India:—

PROCLAMATION

Whereas Shri Varahagiri Venkata Giri has been elected to be the President of the Republic of India and has assumed the said office, the said appointment is hereby notified.

ORDER.—Ordered that the Proclamation be sent for information to the Principal Military Stations.

Ordered that a copy of the Proclamation and copies of foregoing orders be sent for information to the

Ministry of
- Defence
- Education and Youth Services
- External Affairs
- Finance
- Food, Agriculture, Community Development and Cooperation
- Foreign Trade and Supply
- Health and Family Planning, and Works, Housing and Urban Development
- Home Affairs
- Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs
- Information and Broadcasting
- Irrigation and Power
- Labour, Employment and Rehabilitation
- Law
- Petroleum and Chemicals and Mines and Metals
- Railways
- Shipping and Transport
- Steel and Heavy Engineering
- Tourism and Civil Aviation

- Department of Atomic Energy
- Department of Communications
- Department of Parliamentary Affairs
- Department of Social Welfare
- Cabinet Secretariat
- President's Secretariat
- Prime Minister's Secretariat
- Planning Commission
- Comptroller and Auditor General of India
- Election Commission
- Registrar, Supreme Court
- Lok Sabha Secretariat
- Rajya Sabha Secretariat.

whence such orders as may be necessary will be issued forthwith.

Ordered that information of the assumption of the office of the President of India by Shri Varahagiri Venkata Giri be sent to the Governments of States, and Administrators of Union Territories noted below:—

The Government of
- Andhra Pradesh
- Assam
- Bihar
- Gujarat
- Haryana
- Jammu and Kashmir
- Kerala
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Mysore
- Nagaland
- Orissa
- Punjab
- Rajasthan
- Tamil Nadu
- Uttar Pradesh
- West Bengal

The Lt. Governor of
- Delhi
- Goa, Daman and Diu
- Himachal Pradesh
- Pondicherry

The Chief Commissioner of	Andaman and Nicobar Islands Chandigarh Manipur Tripura
The Administrator	Dadra and Nagar Haveli Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

The Adviser to the Governor of Assam, North-East Frontier Agency.

[No. 2/5/69-Public. II.]

L. P. SINGH, Secy.

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1969

का० आ० 3395.—भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात् श्री वाराहगिरि वेंकट गिरि इकत्तीस तोपों की सलामी के साथ, भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित उद्घोषणा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये :—

उद्घोषणा

यतः श्री वाराहगिरि वेंकट गिरि भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति चुन लिये गये हैं तथा उन्होंने उक्त पद ग्रहण कर लिया है अतः उक्त नियुक्ति एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती है ।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि उद्घोषणा सूचनार्थ प्रमुख सैनिक केन्द्रों को भेज दी जाये।

आदेश दिया जाता है कि उद्घोषणा की एक प्रति तथा पूर्वोक्त आदेशों की प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जायें जहां से यथोचित आदेश तुरन्त जारी किये जायें :—

रक्षा मंत्रालय
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय
विदेश मंत्रालय
वित्त मंत्रालय
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
विदेशी व्यापार और आपूर्ति मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय
गृह मंत्रालय
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सिंचाई और बिजली मंत्रालय
श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय
विधि मंत्रालय
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय
इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय
पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय
परमाणु ऊर्जा विभाग
संचार विभाग
संसद् कार्य विभाग
समाज कल्याण विभाग
मंत्रिमण्डल सचिवालय
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रधान मंत्री सचिवालय
योजना आयोग
निर्वाचन आयोग
नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक
पंजीकार सर्वोच्च न्यायालय
लोक सभा सचिवालय
राज्य सभा सचिवालय

आदेश दिया जाता है कि श्री वाराहगिरि वेंकट गिरि द्वारा भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किये जाने की सूचना निम्नांकित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को भेजी जाये :—

आंध्र प्रदेश सरकार
असम सरकार
बिहार सरकार
गुजरात सरकार
हरियाणा सरकार
जम्मू व काश्मीर सरकार
केरल सरकार
मध्य प्रदेश सरकार
महाराष्ट्र सरकार
मैसूर सरकार
नागालैंड सरकार
उड़ीसा सरकार
पंजाब सरकार
राजस्थान सरकार
तमिल नाडु सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार
पश्चिमी बंगाल सरकार

उपराज्यपाल	. .	दिल्ली
उपराज्यपाल	. .	गोआ, दमन और दीयु
उपराज्यपाल	. .	हिमाचल प्रदेश
उपराज्यपाल	. .	पांडिचेरी

मुख्यायुक्त	. . .	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
मुख्यायुक्त	. . .	चंडीगढ़
मुख्यायुक्त	. . .	मणिपुर
मुख्यायुक्त	. . .	त्रिपुरा
प्रशासक	. . .	दादरा और नगर हवेली
प्रशासक	. . .	लक्काडिव, मिनिक्काय और अमीनडिव द्वीप समूह
उत्तर पूर्व सीमान्त एजेंसी के लिए	.	असम के राज्यपाल के सलाहकार ।

[सं० 2 /5/69--पब्लिक--II]

लल्लन प्रसाद सिंह, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969